राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1308/2010/टोंक

आसाम एडीबल आयल लि.
निवाई।

....अपीलार्थी

बनाम

1. उपायुक्त (अपील्स)
   वाणिज्यिक कर,
   अजमेर
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी
   वृत टोंक

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य
श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा,
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 13/11/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 14/वेट/2009–10/टोंक में पारित आदेश दिनांक 22.04.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–टोंक (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2006–07 हेतु पारित आदेश दिनांक 02.02.2009 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम 2003"** कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत प्रस्तुत अपील को समय सीमा अर्थात 60 दिवस में प्रस्तुत नहीं होने से कालातीत मांनकर अपील आवेदन को श्रवण योग्य नहीं मानकर खारिज किया गया है। अपीलीय अधिकारी के समय सीमा के बिन्दु पर अपील श्रवण योगय नहीं मानने के आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि व्यवसायी खाद्य तेल, खल, तिलहन का निर्माता व विक्रेता है। अवधि 2006–07 हेतु व्यवसायी का कर निर्धारण आदेश दिनांक 02.02.2009 को पारित किया गया। व्यवहारी को 11,13,763/– का आई.टी.सी सत्यापन के अभाव में लंबित रखा गया तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा " नोट – शेष अधिक जमा राशि का सत्यापन होने के उपरांत रिफण्ड दिया जायेगा। " अंकित किया गया।

लगातार.....2

व्यवसायी द्वारा रिफण्ड रोक के संबंध में पार्टियों की राशि व नाम की कॉपी दिलाने के निवेदन पर वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत टोंक ने पत्र क्रमांक वा.क.अ./टोंक/2009/19 दिनांक 14.05.2009 द्वारा व्यवसायी को पार्टियों के नाम व राशि से अवगत कराया है। व्यवसायी ने आदेश दिनांक 02.02.2009 के विरूद्व अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने इस आधार पर अपील अस्वीकार की है कि अपील समय सीमा में नहीं है। अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने कथन किया कि अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी को बिना विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान किये निर्णय पारित किया है। आई.टी.सी. रोक जाने के संबंध में निर्णय दिनांक 02.02.2009 से पूर्ण तथ्य ज्ञात नहीं हो सके थे जिससे अपीलार्थी ने सूचना चाहने पर पत्र दिनांक 14.05.2009 से सम्पूर्ण तथ्य ज्ञात होने पर अपील दिनांक 25.05.2009 को प्रस्तुत की है जो समय सीमा में है। यह भी कथन किया कि उनके पत्र दिनांक 04.09.2009 के जरिये यह बता दिया गया था कि यह अपील पत्र दिनांक 14.05.2009 के विरूद्व पेश है।

6. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

8. विचाराधीन प्रकरण में अपीलीय न्यायालय ने अपील इस आधार पर अस्वीकार की है कि निर्णय दिनांक 02.02.2009 के विरूद्व अपील दिनांक 25.05.2009 को प्रस्तुत की है जो समय सीमा के बाहर है।

9. व्यवसायी का कर निर्धारण आदेश दिनांक 02.02.2009 को पारित किया गया। व्यवहारी को 11,13,763/– का आई.टी.सी सत्यापन के अभाव में लंबित रखा गया तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा " नोट – शेष अधिक जमा राशि का सत्यापन होने के उपरांत रिफण्ड दिया जायेगा। " अंकित किया गया। इस निर्णय में यह स्पष्ट नहीं है कि रिफण्ड क्यों नहीं दिया गया व कौनसी व किस फर्म की राशि सत्यापित नहीं हुई है। व्यवसायी द्वारा रिफण्ड रोक के संबंध में पार्टियों की राशि व नाम की कॉपी दिलाने के निवेदन पर वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत टोंक ने पत्र क्रमांक वा.क.अ./टोंक/2009/19 दिनांक 14.05.2009 द्वारा व्यवसायी को पार्टियों के नाम व राशि से अवगत कराया है। इस प्रकार व्यवसायी को प्रभावी आदेश की जानकारी होने पर व्यवसायी ने आदेश दिनांक 02.02.2009 के विरूद्व अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की है जिसमे वेट–27 में आदेश तामिल होने की दिनांक 02.02.2009 व

लगातार.....3

24.05.2009 अंकित है। इस संबंध में पाया कि अपीलीय पत्रावली में इस संबंध में पत्र दिनांक 04.09.2009 भी उपलब्ध है जिसमें अपीलार्थी ने यह जानकारी दी थी कि वह अपील 14.05.2009 में पत्र के विरूद्व है जो समय सीमा में है, पत्र पर अपीलीय अधिकारी के हस्ताक्षर भी है। इस प्रकार इस प्रकरण के तथ्यों के संदर्भ में यह खण्डपीठ न्यायोचित मानती है कि पक्षकार को प्रभावी निर्णय की जानकारी होने के बाद अपील समय सीमा में प्रस्तुत कर दी गई है। अतः अपील श्रवण योग्य होने से अपीलीय आदेश खारिज किया जाता है।

10. फलतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.04.2010 निरस्त किया जाता है तथा अपील रेस्टोर की जाती है। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे प्रकरण का यथासम्भव शीघ्र निस्तारण करें। अपीलार्थी अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 18.12.2017 को पेश हो।

11. निर्णय सुनाया गया।

(के.एल.जैन)
सदस्य

(नत्थूराम)
सदस्य